<u>न्यायालय जिला-न्यायाधीश, झालावाड (राजस्थान)।</u>

पीठासीन न्यायाधीश - सतीशचंद, आर०जे०एस०(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>दीवानी वाद संख्या-01/2021</u>

सुमेर कंवर **बनाम** ग्राम पंचायत सरेडी वगैरह

<u>आदेश बसिलसिले प्रा0 पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश-1 नियम-10 सीपीसी</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1-श्री भेरूसिंह जोधाणा, अधिवक्ता प्रार्थीगण हेमकंवर वगैरह की ओर से।
2-श्री पूरीलाल राठोर अधिवक्ता प्रार्थीगण सुमेर कंवर वगैरह की ओर से।
3-श्री इन्द्रलाल गुप्ता, अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 व 3 वगैरह की ओर से।
4-अप्रार्थी सं० 2, 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

<u>आदेश</u>

<u>दिनांक-04.01.2022</u>

1- प्रार्थीगण हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत की ओर से दिनांक 22.10.2021 को एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश-1 नियम-10 सी०पी०सी० इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसके प्रार्थीगण सुमेर कंवर द्वारा जानबूझकर प्रार्थीगण हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उनको पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। प्रार्थीगण हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत, मृतक राजेन्द्रसिंह की विवाहिता पत्नी, पुत्र व पुत्री है जो मृतक के विधिक उत्तराधिकारी है जिनको भी प्रकरण में बतोर अप्रार्थी सं० 5 लगायत 7 के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2- उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगण सुमेर कंवर वगैरह की ओर से प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस की गयी व प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

3- उभय पक्ष की बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4- समस्त तर्को पर गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरांत यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण, प्रार्थीगण सुमेर कंवर वगैरह द्वारा मृतक राजेन्द्रसिंह को देय पेंशन, पीएफ, राज्य बीमा व अन्य देय प्रलाभ प्राप्त करने के सम्बंध में मृतक की पत्नी व पुत्री के रूप में उतराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत सरेडी, खण्ड विकास अधिकारी, आम जन को बतोर अप्रार्थीगण संयोजित किया गया है।

5- प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत ने भी स्वयं को मृतक राजेन्द्रसिंह की विवाहिता पत्नी, पुत्र एवं पुत्री बताकर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना-पत्र का कोई जवाब प्रार्थीगण सुमेर कंवर वगैरह की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत ने अपने प्रार्थना-पत्र में जो तथ्य बताये है उनका समर्थन हेमकुवर, रूद्रांशसिंह, माही राजावत के आधार कार्ड से होता है जिसमें उनको मृतक की पत्नी, पुत्र व पुत्री दर्शाया गया है,। बडौदा बैंक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में मृतक राजेन्द्रसिंह के बचत खाते में प्रार्थीया हेमकुवंर को नोमिनी दर्शाया गया है। इसी प्रकार मृतक राजेन्द्रसिंह (सरकारी कर्मचारी) के सम्बंध में नामीकरण का जी०ए० 126 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रार्थीयां हेमकुंवर को पत्नी के रूप में नोमीनी अंकित किया गया है। इस स्तर पर उक्त दस्तावेजात की रोशनी में प्रार्थीगण हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना पाया जाता है। वैसे भी यह सुस्थापित विधि है कि यदि किसी पक्षकार को रिकोर्ड पर रखने से न्यायालय को प्रकरण के सुचारू न्याय-निर्णयन में सहायता प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिये। परिणामतः प्रार्थीगण हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत को इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

6- अतः प्रार्थीगण **हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत **आदेश-1 नियम-10 सी0 पी0 सी0** दिनांक

22.10.2021 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण हेमकुंवर, रूद्रांशसिंह व माही राजावत को अप्रार्थी सं05,6 व 7 के रूप में जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण नियमानुसार संशोधित वाद-शीर्षक प्रस्तुत करे।

(सतीश चंद)
जिला न्यायाधीश
झालावाड़।

7- यह आदेश आज दिनांक **04.01.2022** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(सतीश चंद)
जिला न्यायाधीश
झालावाड़।